न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 766 / 2022

अनवान : —

1. महेन्द्र सिंह पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।

वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
2. दीपचंद सहारण पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
3. पूर्णराम सहारण पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
4. राजाराम पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

6. **हरदेवाराम पुत्र चानणराम जाति जाट निवासी अरड़की तहसील नोहर।**

—तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88—188 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :— श्री नरेन्द्र कुमार जोशी **वादी**
श्री मांगेराम बैनीवाल **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 11/01/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोंही मौजा अरड़की तह0 नोहर के खाता सं. 220 / 219 के ख.नं. 119, ख.नं. 201, ख.नं. 262 कुल खसरे 3 की कुल तादादी 12.5450 है0 भूमि, रोही मौजा लाखासर तह0 नोहर के खाता सं0 212 / 205 के ख0 नं0 12 / 1 की 1.2990 है0, ख0 नं0 13 / 1 की 2.3950 है0 भूमि, ख0 नं0 292 की 5.3750 है0 कुल तादादी 9.0690 है0 भूमि एवं रोही मौजा डुमासर तह0 नोहर के खाता सं0 190 / 179 के ख0 नं0 149 की 11. 950 है0 भूमि , ख0 नं0 181 की 0.5690 है0 भूमि कुल तादादी 12.5190 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसके वादी प्रथम पक्षकार एवं प्रतिवादीगण द्वितीय पक्षकारान वाद भूमि के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के मुश्तरका खाता की भूमि है तथा वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है लेकिन वादी व प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि का बाहमी / पारिवारिक बंटवारा कर लिया है।

वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादी एवं प्रतिवादी आपस में सगे भाई है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने अपने जीवनकाल में ही वादग्रस्त कृषि भूमि का अपने पुत्रगणों का घरेलू बंटवारा कर दिया था तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 वादग्रस्त भूमि का बाहमी बंटवारा के अनुसार काश्त करते आ रहे है तथा वादी वादग्रस्त भूमि मुताबिक बाहमी बंटवारा के अनुसार ही काश्त कर रहा रहे है। वादी एवं प्रतिवादी राजीनामा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:19:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)

अनुसार अपना हक व हिस्सा हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में रोही मौज अरड़की खाता स0 220/219, रोही मौजा लाखासर खाता स0 212/205, रोही मौजा डुमारसर खाता स0 190/179 की प्रमाणित जमाबंदी पेश की। वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 की और से श्री मांगेराम बैनीवाल एडवोकेट ने राजीनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 5 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया। मुताबिक राजीनामा वाद भूमि को वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ही काश्त करते आ रहे है जो निम्न प्रकार से है :–

1. वादी महेन्द्र सिंह :– रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता सं0 212/205 के ख0 न0 12/1 की 1.2990 है0 भूमि, ख0 न0 13/1 की 2.3950 है0 भूमि कुल 3.694 है0 भूमि एवं ख0 नं0 292 की 1.0120 है0 भूमि।
2. ओमप्रकाश प्रतिवादी सं0 1 :– रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता सं0 190/179 की कुल 12.5190 है0 भूमि में संयुक्त रूप से 2.251 है0 भूमि का अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 का नाम कलमजन किया जावे एवं रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता सं0 220/219 के ख0 नं0 201 की 1.9600 है0 भूमि एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता सं0 212/205 के ख0 नं0 292 की 5.3750 है0 भूमि में से 0.8855 है0 भूमि ।
3. दीपचन्द प्रतिवादी सं0 2:– रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता सं0 220/219 के ख0 नं0 119 की 2.5295 है0 भूमि दक्षिण की तरफ की भूमि एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता सं0 212/205 के ख0नं0 292 की 1.2650 है0 भूमि।
4. पूर्णराम प्रतिवादी सं0 3 :– रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता सं0 220/219 के ख0 नं0 119 की 2.5295 है0 भूमि उतर की तरफ एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता सं0 212/205 के ख0 नं0 292 की 5.3750 है0 भूमि में से 1.327 है0 भूमि।
5. राजाराम प्रतिवादी सं0 4 :–रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता सं0 220/219 के ख0 नं0 262 की 5.5260 है0 भूमि एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता सं0 212/205 के ख0 नं0 292 की 0.8855 है0 भूमि।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 वादग्रस्त भूमि का मुताबिक राजीनामा के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहते है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत ... मुताबिक राजीनामा वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:19:00 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादी महेन्द्र सिंह को रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता सं0 212/205 के ख0 न0 12/1 की 1.2990 है0 भूमि, ख0 न0 13/1 की 2.3950 है0 भूमि कुल 3.694 है0 भूमि एवं ख0 नं0 292 की 1.0120 है0 भूमि एवं प्रतिवादी स0 1 ओमप्रकाश को रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता सं0 190/179 की कुल 12.5190 है0 भूमि में से 2.251 है0 भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी स. 2 ता 4 का नाम कलमजन कर प्रतिवादी स0 1 को 2.251 हैक्टयर भूमि एवं रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता सं0 220/219 के ख0 नं0 201 की 1.9600 है0 भूमि एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता सं0 212/205 के ख0 नं0 292 की 5.3750 है0 भूमि में से 0.8855 है0 भूमि एवं प्रतिवादी स0 2 दीपचन्द को रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता सं0 220/219 के ख0 नं0 119 की कुल भूमि 5.0590 है0 में से 2.5220 है0 भूमि दक्षिण की तरफ की भूमि एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता सं0 212/205 के ख0नं0 292 की 1.2650 है0 भूमि एवं प्रतिवादी स0 3 पूर्णराम को रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता सं0 220/219 के ख0 नं0 119 की कुल 5.0590है0 भूमि में से 2.5295 है0 भूमि उतर की तरफ एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता सं0 212/205 के ख0 नं0 292 की 5.3750 है0 भूमि में से 1.327 है0 भूमि तथा प्रतिवादी स0 4 राजाराम को रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता सं0 220/219 के ख0 नं0 262 की 5.5260 है0 भूमि एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता सं0 212/205 के ख0 नं0 292 की 0.8855 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11/01/23...... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:19:00 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 766/2022

अनवान : –

1. महेन्द्र सिंह पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी अरड़की त0 नोहर।

वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी अरड़की त0 नोहर।
2. दीपचंद सहारण पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी अरड़की त0 नोहर।
3. पूर्णराम सहारण पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी अरड़की तह0 नोहर।
4. राजाराम पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी अरड़की तह0 नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

6. हरदेवाराम पुत्र चानणराम जाति जाट निवासी अरड़की तह0 नोहर।

–तरतीबी प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र जोशी व वकील प्रतिवादी श्री मांगेराम बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादी महेन्द्र सिंह को रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता सं0 212/205 के ख0 न0 12/1 की 1.2990 है0 भूमि, ख0 न0 13/1 की 2.3950 है0 भूमि कुल 3.694 है0 भूमि एवं ख0 नं0 292 की 1.0120 है0 भूमि एवं प्रतिवादी स0 1 ओमप्रकाश को रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता सं0 190/179 की कुल 12.5190 है0 भूमि में से 2.251 है0 भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी स. 2 ता 4 का नाम कलमजन कर प्रतिवादी स0 1 को 2.251 हैक्टयर भूमि एवं रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता सं0 220/219 के ख0 नं0 201 की 1.9600 है0 भूमि एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता सं0 212/205 के ख0 नं0 292 की 5.3750 है0 भूमि में से 0.8855 है0 भूमि एवं प्रतिवादी स0 2 दीपचन्द को रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता सं0 220/219 के ख0 नं0 119 की कुल भूमि 5.0590 है0 में से 2.5220 है0 भूमि दक्षिण की तरफ की भूमि एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता सं0 212/205 के ख0नं0 292 की 1.2650 है0 भूमि एवं प्रतिवादी स0 3 पूर्णराम को रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता सं0 220/219 के ख0 नं0 119 की कुल 5.0590है0 भूमि में से 2.5295 है0 भूमि उतर की तरफ एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता सं0 212/205 के ख0 नं0 292 की 5.3750 है0 भूमि में से [illegible]827 है0 भूमि तथा प्रतिवादी स0 4 राजाराम को रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता सं0 220/219 के ख0 नं0 262 की 5.5260 है0 भूमि एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता सं0 212/205 के ख0 नं0

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:19:00 IST
Reason: SelfAttested

292 की 0.8855 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/01/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:19:00 IST
Reason: SelfAttested